एक नजर

दिल्ली वालों ने की ठगी

इंदौर। एक बुजुर्ग के साथ भी दिल्ली के लोगों ने ठगी कर दी। मामले में आजादनगर पुलिस ने है। पुलिस के अनुसार नरेन्द्र जोशी निवासी आजाद नगर ने बताया कि आरोपी मनोज द्विवेदी, कृष्णा उर्फ रेणु द्विवेदी उर्फ कात्यायनी, दीपिका उर्फ पिंकू द्विवेदी व आर्या सभी निवासी रिद्धिश कॉलोनी नई दिल्ली ने इंदौर निवासी नरेंद्र जोशी को टेलुरा सहित कहीं बेचने के लिए 25 लाख रुपए का निवेश कराया और फिर एक करोड़ रुपए की बीजाएस्चू कार सस्ते में खरीदने का कहा। जोशी से इसके लिए 13 लाख रुपए लिए थे। लालच में आए जोशी ने 13 लाख रुपए दे दिए। आरोपियों ने जोशी को 2006 मॉडल की बीजाएस्चू कार तो 2014 बताकर बेच दिया। कार लेने के बाद उसकी जांच कराने पर जोशी को पता चला कि कार चुराई है और उसके सात चेसिस किया गया है तो उसने आरोपियों से संपर्क किया, लेकिन आरोपियों ने नहीं देने से इंकार कर दिया। जोशी ने मामले में प्रारंभिक दर्ज कराया है।

नौकरी के नाम पर लगाई चपत

इंदौर। एक युवक के साथ नौकरी के नाम पर ठगी हो गई। दिल्ली के ठगोरों ने उसके सिक्युरिटी क्लियरेंस के नाम पर हजारों रुपए की चपत लगा दी। मामले में ठगाए युवक ने पुलिस की जनसुनवाई में शिकायत की। जिसकी जांच के बाद थाना लसूड़िया पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया।

पुलिस के अनुसार तैलंदेशिह ठाकुर निवासिया ने 17 जुलाई को आवेदन दिया था। आवेदन में फरियादी ने कहा कि मैं लंबे समय से बेरोजगार था। कई जगह नौकरी के लिए रिज्यूम डाले थे। एक दिन दिल्ली की पहले एचआ कंपनी से मेल पर रिज्यूम मांगा। रिज्यूम मांगने वाले अनिलकुमार प्रिंस मूर्तेसिंह निवासी पूर्वी तथा सौरभकांत सौफिक निवासी दिल्ली ने फोन किया कि आपका रिज्यूम मिल गया है। एक दिन दिल्ली की पहले एचआ कंपनी से मेल पर रिज्यूम मांगा। रिज्यूम मांगने वाले अनिलकुमार प्रिंस मूर्तेसिंह निवासी पूर्वी तथा सौरभकांत सौफिक निवासी दिल्ली ने फोन किया कि आपका रिज्यूम मिल गया है। कंपनी के नियमानुसार आपसे एचआर विभाग के कर्मचारी टेलीफोनिक इंटरव्यू लेंगे। इसके पहले आपको सिक्युरिटी क्लियरेंस फीस के 8750 रुपए की राशि जमा करवा होगी। मैंने राशि जमा कर दी।

धोखाधड़ी पूर्वक प्लाट बेचना पड़ा भारी

इंदौर। प्लाट की धोखाधड़ी में पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो आरोपी पूर्व में पकड़े जा चुके है, वहीं एक अभी भी फरार है। कनाडिया पुलिस ने बताया कि तत 27 अगस्त 2019 सोहेल पिता रैलाल पंट गुप्ता निवासी मिलक्यु नगर कनाडिया ऐपोर्ट वाला के पुलुक राह, पुलुल व रजाल सोलंकी ने प्लट ना बेचने के आदेश के बावजूद सूती जानकारी टेचर रसल्ल रजाक 124 पर विकसित कॉलोनी लाईक्स कॉलोनी मे प्लाट ठिकाक 229 800 स्क्वायर फीट का ₹5,75,000 रुपये का रजिस्ट्री कर बेचा। उक्त पर से आरोपियो के विरुद्ध अपराध धारा 420,181,120 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण मे आरोपी तुफुक पिता नवाब शाह उम्र 3 साल सिंधी 21/3 बाना एरोट नजर रजाकाना तथा आरोपी रजाल पिता मेहरबान सोलंकी उम्र 42 साल निवासी 117-118 श्री पुलुक विहार कॉलोनी को हिरासत मे लिया गया।

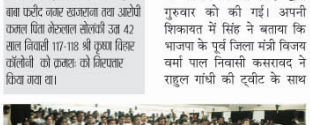

वाइट कोट पहनकर ली मानवीय मूल्यों की शपथ

इंदौर। वाइट कोट डॉक्टर्स की पहचान होता है। सफेद रंग का कोट पहने यदि कोई व्यक्ति दूर से भी आ रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वह सबसे नोबल माने जाने वाले मेडिकल प्रोफेशन का अहम हिस्सा हैं। डॉक्टर्स के कोट का यह सफेद रंग प्रतिक हैं इस पेशे में मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि मानने का और यही कारण हैं कि मेडिकल प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन कहा जाता हैं। इस कोट के महत्त्व और इससे जुडी इन सभी जरुरी बातों को मेडिकल स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वाइट कोट सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस सेरेमनी में पहली बार मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बनने का सपना लिए आये स्टूडेंट्स को वाइट कोट पहनाए गए।

तेंदुए की खाल के साथ पकड़ाया फरार तस्कर

वन विभाग ने किया था पांच हजार रुपए का इनाम घोषित

इंदौर। एसटीएफ की टीम ने अंतरराष्ट्रीय दुर्लभ तेंदुए की बेशकीमती खाल सहित एक फरार तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम गफ्फार उर्फ भैय्यू पिता अब्दुल रशीद निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी चंदन नगर इंदौर है। आरोपी वन विभाग ने पांच हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।

एसपी एसटीएफ इंदौर पद्मविलोचन शुक्ल ने बताया कि आरोपी के पास से किंग लियोपार्ड दुर्लभ प्रजाति के तेंदुए की खाल बरामद हुई है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेशकीमती है। शुक्ल के अनुसार तंत्र मंत्र एवं एंटिक आइटम के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके तीन साथी शाकिर मौलाना निवासी देवास, शिवा बाबा निवासी सेंधवा और बलदेव उर्फ बल्लू निवासी सेंधवा पहले ही पकड़ा चुके हैं। एसपी शुक्ल ने बताया कि सीबीआई महाराष्ट्र यूनिट द्वारा महाराष्ट्र में टाइगर, लियोपार्ड के शिकार के बाद खाल और अवशेष की तस्करी मध्य प्रदेश में किए जाने की सूचना दी गई थी। सूचना के बाद टीम ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। वह अपने परिवार से मिलने घर आया था। पुख्ताह करने पर उसने अपने पास तेंदुए की खाल होना स्वीकार किया, जिसे बरामद किया गया।

प्राथमिक अनुसंधान व वाइल्ड लाइफ जानकारों से पता करने पर पाया कि उक्त लियोपोर्ड दुर्लभ किस्म का है। उक्त तेंदुआ मेलानिस्टिक तेंदुआ है, जो पश्चिम घाट में पाया जाता है। यह जंगल में भ्रमण करता हुआ आया था, इसे संभवतः सेंधवा व महाराष्ट्र के मध्य के जंगलों में मारा गया था। एक साल पहले वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को तेंदुए के नाखून एवं पंजे के साथ पकड़ा था, लेकिन मुख्य आरोपी गफ्फार उर्फ भय्यू खान सहित फरार हो गया था। गिरफ्तार आरोपी को वन विभाग को सुपुर्द किया गया है।

पुलिस ने ग्राहक बनकर पकड़ा चोर

इंदौर। चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 2 मोबाईल और चोरी के एटीएम कार्ड बरामद किए गए है। आरोपी ने इंदौर में दो और देवास में एक वारदात करना कबूल की है। पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति चोरी के मोबाइल बेचने के लिए जेल रोड के व्यापारियों के यहां चक्कर लगा रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने ग्राहक बनकर कबाल पिता रामलाल सोलंकी निवासी मनोहर जिला धार, हाल मुकाम खजरी इंदौर को बुलाया। उसने बताया कि वह सपरेटो वल स्टैप पर स्थित होटल विजयश्री में काम करता है। आरोपी ने उसके पास चोरी के 2 मोबाईल होने की बात बताई तथा कहा कि कोई खरीदना चाहे तो बताना तो सस्ते में दे दूंगा। इसके बाद पुलिस ने उसे पर दबोचा। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने तीनों वंधनी का एक मोबाइल एवं एजाज मेहतलल बैग का एक एटीएम कार्ड देवास से चोरी किए थे। वहीं दूसरा मोबाइल इंदौर के खजरी से चुराना बताया।

फंगस लगी कैडबरी चॉकलेट

खाद्य विभाग ने गोदाम पर मारा छापा

कोल्ड चेन का रखरखाव ठीक नहीं होने से खराब हो रही थी चॉकलेट

इंदौर। उपभोक्ता द्वारा कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट में फंगस लगा होने की शिकायत के बाद खाद्य विभाग की टीम ने कंपनी के डीलर पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। गुरुवार को अंजाम दी गई उक्त कार्रवाई में कोल्ड चेन का रखरखाव सही नहीं होने के कारण चॉकलेट खराब होने की बात सामने आई है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार एक उपभोक्ता ने कंपनी की चॉकलेट में फंगस लगा होने की शिकायत की थी। इसके बाद विभाग ने योजना बनाकर कैटरिंग के डीलर वेदीक इंफ्रा एंड सर्विस के परदेशीपुरा स्थित गोदाम पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान गोदाम में कई अनियमितताएं पाई गई। विभाग के अधिकारियों ने पाया कि कोल्ड चेन खराब था जिसके कारण चॉकलेट खराब हो रही थी।

गोदाम में बड़ी मात्रा में पानी लगी चॉकलेट भी रखी हुई थी। विभाग ने मौके से चॉकलेट का सैंपल लिया है जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। कार्रवाई के दौरान डीलर अनिल जैन द्वारा गोदाम का प्रवेश द्वार बंद कर मीडिया को कवरेज करने से रोका गया। वहीं मामले में कॉर्पोरेट के एरिया सेल्स मैनेजर विपुल सोनी भी किसी प्रकार का जवाब देने से बचते रहे।

आरक्षक की परीक्षा देने के लिए ब्लूटूथ लगाकर पहुंचे

इंदौर। एरोड्रम पुलिस ने तीन मुन्नाभाई को पकड़ा जो बीएसएफ के आरक्षक ट्रेड के एग्जाम में कान में ब्लूटूथ लगाकर पहुंचे थे। जहां चेकिंग के दौरान इन्हें पकड़ा गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार बीएसएफ द्वारा एरोड्रम थाने पर एक आवेदन दिया गया है कि उनके द्वारा गरिमा स्कूल में बीएसएफ के आरक्षक ट्रेड के एग्जाम के दौरान तीन युवकों को ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर नकल कर रहे थे। इसमें गणेश और श्याम सुंदर तोमर निवासी मुरैना और देवेंद्र निवासी भिंड शामिल हैं। आवेदन की जांच में शिकायत सही पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। शिकायत बीएसएफ अधिकारियों द्वारा थाने पर दी गई डिवाइस इतनी छोटी थी कि वह कान के अंदर छुपाई जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद परीक्षा हॉल में मौजूद टीचर ने उसे देख लिया और तत्काल इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी गई।

खजराना गणेश पर हर रोज उमड़ रहा भक्तों का सैलाब

हर दिन भजन संध्या और विभिन्न किस्म के लड्डुओं का भोग

इंदौर। खजराना गणेश मंदिर पर चल रहे गणेश महोत्सव में दिनों दिन भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। प्रतिदिन औसतन एक लाख श्रद्धालु यहां दर्शन एवं पूजा-अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रबंधन द्वारा की गई व्यवस्थाओं के कारण दर्शन में आधे घंटे से अधिक का समय नहीं लग रहा है। आज शाम खजराना गणेश को रामरतन अग्रवाल परिवार की ओर से 11 हजार जोधपुरी लड्डू का भोग समर्पित किया गया। कल विनोद अग्रवाल परिवार की ओर से गोंद के लड्डू का भोग लगेगा।

भक्त मंडल के संयोजक अरविंद बागड़ी ने बताया कि बीती रात भजन गायक गन्नू महाराज और उनके साथियों ने देर रात तक हजारों भक्तों को भक्तिभाव में बांधे रखा। प्रतिदिन हो रही भजन संध्या में शुक्रवार 6 सितंबर को एस.के. सक्सेना एवं साथियों की भजन संध्या होगी। 7 को नागर ब्राम्हण जय हाटकेश्वर संस्कृतिक मंच की भजन संध्या होगी और अशोक ऐरन परिवार की ओर से उड़द के लड्डुओं का भोग लगेगा। 8 सितंबर को पूजा पालीवाल की भजन संध्या और सुभाष बजरंग की ओर से लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। 9 सितंबर को अशोक पांचाल की भजन संध्या एवं डी.एच. गोयल की ओर से डायफ्रूट्स के लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। 10 सितंबर को अशोक भैया सरकार की भजन संध्या होगी और नीलेश दूधिया परिवार की ओर से मुंग के 11 हजार लड्डुओं का भोग समर्पित होगा। बुधवार 11 सितंबर को भावेश सोनी की भजन संध्या एवं शैलैंद्र मिसल अगरबत्ती वालों की ओर से चखले के लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा।

नकबजनों को दबोचा

इंदौर। कनाड़िया पुलिस ने दो शातिर नकबजनों को गिरफ्तार कर इनके पास से चोरी का माल बरामद किया है। भूरी टेकरी के रहने वाले बदमाश राहुल उर्फ दाउ पिता प्रकाश मराठा, सुनील उर्फ गुनिया पिता राजू मराठा व राहुल पिता दिपक बोरकर तीनो ने उक्त घटना को अंजाम दिया गया है।

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **मर्सलस कंस्ट्रक्शन तर्फे श्री संजय पिता श्री मांगजमंद जी मारु** द्वारा इनके स्वामित्व एवं आधिपत्य का भूखण्ड **क्रमांक एच/ 91, अनुपम नगर कॉलोनी, इंदौर म.प्र.** पर विकास योजना 2021 में निर्धारित उपयोग **निवास** से **बैंकिंग 6.10.4 के विन्दु क्रमांक 05 में अंकित** प्रावधान अनुसार निर्धारित उपयोग हेतु **32.15 वर्गमीटर** पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भवन अनुज्ञा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त के सम्बंध मे किसी को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन से **7 दिवस** मे भवन अधिकारी झोन क्रमांक **10 के कार्यालय (भवन अनुज्ञा शाखा)** मे प्रस्तुत कर सकते है। समयावधि पश्चात यह माना जाएगा कि किसी को कोई आपत्ति नही है तथा नगर निगम द्वारा प्रस्ताव अनुसार भवन अनुज्ञा जारी करने की कार्यवाही की जायेगी।

A.Rc/ S.T.R ENG./ ENG. SUV ,
Lincence No. ARC-50, ARCHITECT:- NADEEM - UMAR

कमर्शियल सीन बैग्स लिमिटेड
CIN- L25202MP1984PLC002669
रजिस्टर्ड ऑफिस: कमर्शियल हाउस, 3-4, जवाहर मेंशन्स,एम.जी.रोड, ऐरो, इंदौर (म.प्र.) - ४५२००१
दूरभाष नं.: 0731-4279525, ईमेल आईडी: investors@comsyn.com, वेबसाइट: www.comsyn.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 29(1)(a) एवं 47(1) (a) का अनुपालन करते हुए, एतद्वारा सूचना दी जाती है की, कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 13 सितम्बर, 2019 को समय दोपहर 12:15 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, कंपनी की ३० जून, 2019 को समाप्त तिमाही अ- अंकेक्षित वित्तीय परिणाम और अन्य नियमित व्यवसाय के साथ विचार और मंजूरी देने के लिए **रखी गयी है।**

यह सूचना कंपनी की वेबसाइट- http://www.comsyn.com// और बंबई स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट-http://www.bseindia.com/stock-share-price/commercial-syn-bags-ltd/comsyn/539986/ पर भी उपलब्ध है।

प्रति, कमर्शियल सीन बैग्स ली.

स्थान: इंदौर — हस्ता /-
दिनांक 5th सितम्बर, 2019 — अजनीश गुप्ता
कंपनी सचिव

गोरानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
रजिस्टर्ड ऑफिस: 32- 33 सेक्टर एफ सांवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया, इंदौर (म.प्र.) 452015
CIN: L28121MP1995PLC091170, ईमेल- gorani.industries@yahoo.com
फोन: 0731-2723201-3 वेबसाइट: www.goraniindustries.com

सूचना

एतद् द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 24वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 को दोपहर 12 बजे प्लॉट नं. 32 -33 सेक्टर एफ सांवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया, इंदौर (म.प्र.) 452015 पर आयोजित की जायेगी।

24वीं वार्षिक साधारण सभा सूचना के साथ वित्त वर्ष 2018-2019 की वार्षिक रिपोर्ट सभी शेयरधारकों को स्वीकृत प्रक्रिया में उनके पंजीकृत पते पर इस दिनांक 02/09/2019 तक भेज दी गयी है। एवं अन्य सभी शेयरधारकों को जिनकी ईमेल आईडी कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (RTA) लिंक-इनटाईम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास पंजीकृत है। उन्हें इस दिनांक 03/09/2019 तक भेज दी गयी हैं।

वार्षिक साधारण सभा की सूचना तथा वर्ष 2018-2019 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.goraniindustries.com पर एवं सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है एवं साथ में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में कार्यालय व्यवसाय घंटों के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध हैं।

यह भी सूचित किया जाता है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों, यदि हो और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी की सदस्य पंजी और शेयर अंतरण पंजी 21 सितंबर 2019 से, 27 सितंबर, 2019 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में एवं कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियम,2014 समय-समय पर संशोधित और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के विनियम 44 के साथ पढ़ें।

1. कंपनी की वार्षिक साधारण सभा के नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने वोट कास्ट करने हेतु अपने सदस्यों के दूरस्थ ई मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है।
2. दिन, तारीख और दूरस्थ ई–मतदान के प्रारम्भ का समय: मंगलवार 24 सितम्बर 2019 सुबह 9 बजे।
3. दिन, तारीख और दूरस्थ ई–मतदान के अंत का समय: गुरुवार 26 सितम्बर 2019 शाम 5 बजे तक।
4. दूरस्थ ई मतदान मॉड्यूल निष्क्रिय होने के बाद दूरस्थ ई–मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. कट ऑफ तारीख 20 सितम्बर 2019 शुक्रवार है।
6. केवल वो व्यक्ति जिनके नाम सदस्यों लाभपद मालिकों के रजिस्टर में कट ऑफ तिथि 20 सितम्बर 2019 को दर्ज होंगे वे ही दूरस्थ ई–मतदान तथा बैठक में मतदान के हकदार होंगे।
7. कोई भी व्यक्ति जो वार्षिक साधारण सभा के नोटिस के पश्चात कंपनी के शेयरों का अधिकरण करता है तथा कंपनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ तिथि 20 सितम्बर 2019 को शेयरधारक है वह अपना यूजर आईडी तथा पासवर्ड यह आईडी helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजने के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने हेतु विस्तृत प्रक्रिया भी कंपनी की वेबसाइट www.goraniindustries.com पर उपलब्ध है जो बैठक की नोटिस में और सी.डी.एस.एल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर दी गयी है। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही ई–वोटिंग के लिए पंजीकृत है तो वो मतदान के लिए अपना मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड उपयोग करें।
8. दूरस्थ ई मतदान की सुविधा 26 सितम्बर 2019 शाम 5 बजे के पश्चात बंद कर दी जायेगी। मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा वार्षिक साधारण सभा के आयोजन स्थल पर उपलब्ध करायी जाएगी।
9. ऐसे सदस्य जो बैठक में भाग ले रहे हैं एवं जिन्होंने अपना मतदान दूरस्थ ई–मतदान द्वारा नहीं किया है वे बैठक में अपना मतदान कर सकते हैं। वे सदस्य जिन्होंने अपना मतदान दूरस्थ ई मतदान से पहले ही दे दिया है वे बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उन्हें अपना मतदान पुनः देने की अनुमति नहीं होगी।

दूरस्थ ई मतदान के सम्बंधित शिकायतों के लिए कृपया श्री नवीन खंडेलवाल, गोरानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इंटरनल ऑडिटर के नं 0731 2545933, की ईमेल आईडी जो कि है newdreams_ca@ymail.com या श्री महेश मस्सूरकर, लिंक- इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट सी- 101, 247 पार्क एल.बी.एस मार्ग विखरोली वेस्ट मुंबई,400083 के नंबर पर 022 49186270 एवं ई मेल आईडी rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर संपर्क करें।

दूरस्थ ई–मतदान तथा साधारण सभा का परिणाम अनुसंधान की रिपोर्ट के साथ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एवं कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। मतदान का परिणाम 29 सितम्बर 2019 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा। यह परिणाम कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है वहां भेजे जाएंगे।

बोर्ड के आदेश अनुसार
गोरानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
अनिल गोरानी
(पूर्णकालिक निदेशक)
(डिन: 00055540)

दिनांक: 04/09/19
स्थान: इंदौर

इन्डो थाई सिक्यूरिटीज लिमिटेड
CIN: L67120MP1995PLC008956
पंजीकृत कार्यालय : "केपिटल टॉवर", दूसरी मंजिल, प्लाट नं. 1695-171, पी.यू.-4, स्कीम नं. 54, इन्दौर - 452010 (म.प्र.)
फोन : 0731-4255800
ईमेल: indothaigroup@indothai.co.in वेबसाईट: www.indothai.co.in

25वीं वार्षिक साधारण सभा, दूरस्थ ई-वोटिंग एवं बुक- क्लोजर की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है की इंडो थाई सिक्यूरिटीज लिमिटेड (कंपनी) की **25वीं वार्षिक साधारण सभा (ए.जी.एम.) अनिवार्य, 28 सितम्बर, 2019 को दोपहर 12:00 बजे रजिस्टर्ड कार्यालय सेवर, प्लॉट नं. 5, स्कीम नं. 78 फेज 2, विजयनगर, इन्दौर (म.प्र.)** में आयोजित की जाएगी, जिसमें सदस्यों द्वारा वार्षिक साधारण सभा की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

25वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट एवं उपस्थिती पर्ची, ऐसे सदस्यों की ईमेल आईडी पर भेजी जा चुकी हैं जिनकी ईमेल आईडी कंपनी या रजिस्ट्रार एण्ड शेयर ट्रांसफर ऐजेंस या डिपॉजिटरी भागीदारों के पास पंजीकृत है, जब तक कि जिन सदस्यों ने भौतिक प्रति (हार्ड कॉपी) के लिए आवेदन नहीं किया है। 25वीं ए.जी.एम. की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति (हार्ड कॉपी) उन सदस्यों को भेजी जा चुकी हैं जिनकी ईमेल आईडी कंपनी या रजिस्ट्रार एण्ड शेयर ट्रांसफर ऐजेंस या डिपॉजिटरी भागीदारों के पास पंजीकृत नहीं है।

25वीं ए.जी.एम. की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के वित्तीय विवरणों की ई-वोटिंग की सेवा सहित www.indothai.co.in पर भी उपलब्ध है। ऐसे सदस्य जिन्हें 25वीं ए.जी.एम. की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, वे सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेब साइट से निम्नलिखित लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं

Link: http://www.indothai.co.in/wp-content/uploads/2019/09/Annual-Report-2018-19-1.pdf पर या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर लिखित में कंपनी सचिव को आवेदन कर इसकी प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमन, 2015 के नियमन 42 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानो एवं इसके अंतर्गत लागू नियमों के अनुसार कंपनी के सदस्यों की पंजी (Register of Members) एवं उसकी बंद हस्तांतरण बहियां (Share Transfer Books) रविवार, 22 सितम्बर, 2019 से बुधवार, 25 सितम्बर, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेगी और प्रति ए.जी.एम. में लाभांश अनुमोदित होता है तो उन सदस्यों को लाभांश देय होगा जिनका नाम -

1) इलेक्ट्रानिक रूप में धारण किये गये अंशों के संबंध में लाभभोगी स्वामी के रूप में नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सी.डी.एस.एल.) द्वारा अनिवार, 21 सितम्बर, 2019 को कार्यालयीन समय के समाप्त होने पर उपलब्ध कराये गये हों है।
2) भौतिक रूप में धारण किये गये अंशों के संबंध में सदस्य के रूप में अनिवार, 21 सितम्बर, 2019 को सदस्यों की पंजी में उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों एवं कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित, समय-समय पर हुये संशोधनो सहित एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) नियम, 2015 के नियमन 44 एवं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा साधारण सभाओं पर जारी सचिवी मानक (SS-2) के अनुसार, कंपनी ने अपने सदस्यों को ए.जी.एम. की सूचना में निर्देष्ट व्यवसायों पर सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सी.डी.एस.एल.) द्वारा उपलब्ध करायी गई ई- वोटिंग सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा अपने मत के उपयोग की सुविधा उपलब्ध कराई है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

1) कंपनी ने सेबसे कौडास अनेरा एक कंपनी, अध्यवसायी कंपनी सचिव (एफ.सी.एस. नं. 8144 एवं सी.ओ.पी. नं. 9103) को दूरस्थ ई-वोटिंग, मत-पत्र के माध्यम से मतदान एवं ए.जी.एम में मतदान-पत्र के माध्यम से मतदान का निरीक्षण और पारदर्शी संचालन करवाने हेतु संवीक्षक के रुप में नियुक्त किया है।
2) व्यवसाय को इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा मतदान किया जा सकेगा।
3) दूरस्थ ई-वोटिंग प्रारंभ करने की तारीख और समय : मंगलवार, 24 सितम्बर, 2019 प्रातः 09:00 बजे से।
4) दूरस्थ ई-वोटिंग समाप्त करने की तारीख और समय : शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 सायं 05:00 बजे तक।
5) निर्णायक तारीख (Cut Off Date) : अनिवार, 21 सितम्बर, 2019
6) यदि कोई व्यक्ति ए.जी.एम. की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के अंश अर्जित करता है तथा कंपनी का सदस्य बनता है तथा निर्णायक तारीख को अंश धारक है, वह उसके फोलियो नं. / डी.पी. आईडी और क्लाइन्ट आईडी नं. का उल्लेख करते हुए helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। अगर सदस्य अपना यूजर आईडी / पासवर्ड भूल गये है उन परिस्थिति में वह www.evotingindia.com पर "Forgot user details / Password" विकल्प का उपयोग कर अपना यूजर आईडी / पासवर्ड प्राप्त कर सकते है।
7) शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 सायं 05:00 बजे बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
8) मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा ए.जी.एम. में उपलब्ध कराई जाएगी तथा सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य, जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग अथवा मत-पत्र द्वारा मतदान नहीं किया होने के मतदान-पत्र के माध्यम से मतदान का उपयोग कर सकते हैं।
9) कोई भी व्यक्ति दूरस्थ ई-वोटिंग अथवा मत-पत्र के माध्यम से अथवा मतदान कर लेने के बावजूद भी इस साधारण सभा में उपस्थिति से सकते हैं, लेकिन वे सभा में पुनः मतदान के हकदार नहीं होंगे।
10) जिन सदस्यों का नाम निर्णायक तारीख को डिपॉजिटरी द्वारा प्रेषित लाभ भोगी स्वामियों की पंजी में अथवा सदस्यों की पंजी में दर्ज हैं, वे ही दूरस्थ ई-वोटिंग/मतपत्र द्वारा मतदान / ए.जी.एम. में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिकृत होंगे।
11) सदस्य, दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया एवं प्रणाली से संबंधित मामलो और सवालो के लिए www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन में "फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफ.ए.क्यू.)" और ई-वोटिंग मेन्अल को देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल कर सकते है।
12) उपर दी गई सूचना के संबंध में और अधिक जानकारी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज, बी.एस.ई. (www.bseindia.com) तथा एन.एस.ई. (www.nseindia.com) की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

कृते इंडो थाई सिक्यूरिटीज लिमिटेड
हस्ताक्षर
संजय कुशवाह
कंपनी सचिव तह अनुपालन अधिकारी
एसीएस नं. 49437

दिनांक : 05 सितम्बर, 2019
स्थान : इन्दौर

Corrigendum